

क्रमांक:-प.1/विजा/स्था0/2018/ 3841

दिनांक 6 / 08 / 2018

:- आदेश :-

श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर को ज्ञापन क्रमांक 61 दिनांक 02.01.18 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या 1. - यह कि आपको सी0ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 का अनु0 संख्या 4.10.2 की टोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्राक 1214-19 दिनांक 01.10.03,1425-32 दि031.12.13,1593-1600 दिनांक 31.1.14,1863-73 दि003.6.14,2318-25 दिनांक 10.9.16,253-57 दि014.2.17,336-40 दि028.2.14,557-62 दि030.3.14 व अ0शा0पत्र क्रमांक 2815-22 दि029.12.14,154-161 दि013.2.15,557-84 दि0 23.4.15,969-75 दि008.7.15,179-186 दि009.2.16,318-322 दि017.3.16,351-55 दि0 12.4.16 व 1186-90 दि003.08.17 तथा कारण बताओ नोटिस 642-46 दि021.6.17 व अंतिम पत्र 1701-06 दि009.11.17 से लिखे जाने के उपरान्त समय पर टोस पूर्ण एवं तथ्यात्मक अनुपालना प्रेषित नहीं करने के कारण उक्त अनु0 जन लेखा समिति वर्ष 2016-17 के 159 वे प्रतिवेदन के रूप में शामिल किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2- यह कि आपको सी0ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 का अनु0 संख्या 4.7 की टोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्राक 844-61 दि008.08.16,999 1015 दि030.8.16,289-96 दि020.2.17,599-603 दि010.4.17,933-36 दि005.6.17 अ0शा0पत्र क्रमांक 98-101 दि011.1.17,1038-41 दि028.6.17 ,1260-63 दि04.9.17,1450-53 दि0 22.9.17 तथा कारण बताओ नोटिस 1531-33 दिनांक 24.10.17 से से लिखे जाने के उपरान्त समय पर टोस ,पूर्ण एवं तथ्यात्मक अनुपालना प्रेषित नहीं करने के कारण उक्त अनु0 जन लेखा समिति वर्ष 2016-17 के रूप में शामिल किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य में लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपो के क्रम में श्री श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर ने 1.8.18 को लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया कि इस तहसील के पत्र क्रमांक 459/टीआरए/17 दिनांक 10.11.17 से सीएजी प्रतिवेदन की अनुपालना में वर्ष 2012-13 के अनु0स0 4.10.2 की टोसपूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना में वसूली की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी है। 2-सीएजी प्रतिवेदन प्रतिवेदन वर्ष 2015-16 का अनु0स0 4.7 की टोस पूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना हेतु वसूली की जाकर पालना प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 459/टीआरए/17 दिनांक 10.11.17 से भिजवाई जा चुकी है ।

हमारे द्वारा श्री वर्मा में द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर के द्वारा प्रस्तुत जवाब को संतोषप्रद मानते हुए प्रकरण में सहानुभूतिपूर्वक विचार कर प्रकरण में कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

जिला कलक्टर
झालावाड़

क्रमांक सम0/18/ 3842-46
प्रतिलिपी निम्न को :-

- 1-उपखण्ड अधिकारी खानपुर
- 2-तहसीलदार खानपुर
- 3 श्री शिवदयाल वर्मा सेवानिवृत्त तहसीलदार खानपुर
- 4-व्यक्तिगत पत्रा0
- 5-रक्षिता पत्रापत्नी

दिनांक 6 / 08 / 2018

जिला कलक्टर
झालावाड़

